



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239296
CG-DL-E-03102022-239296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]
No. 250]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

मामला संख्या: एडी (ओआई) -08/2022

विषय: चीन पीआर और कोरिया आरपी में उत्पन्न या निर्यात किए गए "मिश्र धातु स्टील छेनी/उपकरण और हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर पूरी तरह से इकट्ठे हालत में" के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 6/8/2022-डीजीटीआर—डोजको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक आवेदन दायर किया गया है (इसके बाद 'आवेदक' के रूप में संदर्भित), 1995 और उसके बाद संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग छूटी की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एडी नियम' के रूप में संदर्भित), एक एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने और "मिश्र धातु स्टील छेनी/उपकरण और हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के आयात पर उचित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए पूरी तरह से इकट्ठे हालत में" (इसके बाद 'विषय वस्तुओं' के रूप में संदर्भित किया जाता है) चीन पीआर और कोरिया आरपी में उत्पन्न या निर्यात किया जाता है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन पीआर और कोरिया आरपी से उत्पन्न या निर्यात किए गए कथित डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है और चीन पीआर और कोरिया आरपी से विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "पूरी तरह से इकट्ठे हालत में मिश्र धातु स्टील छेनी/उपकरण और हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" है (इसके बाद "विषय वस्तुओं" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित किया जाता है)। आम उपयोग में, विचाराधीन उत्पाद को हाइड्रोलिक ब्रेकर, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर, छेनी/पीयूसी आमतौर पर निम्नलिखित विवरणों के तहत आयात किया जाता है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:

"मिश्र धातु इस्पात छेनी: रॉक छेनी दांत, टूथ रॉक छेनी, ब्रेकर टूल, हाइड्रोलिक हैमर (टूल्स), काम करने वाले उपकरणों के लिए हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर वेज पॉइंट, छेनी कुंद, कुंद, छेनी आदि के रूप में आयात किया जाता है। हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर: हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर (छेनी के साथ और बिना), थोक के बिना रॉक ब्रेकर, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर असेंबली किट, रॉक ब्रेकर स्पेयर बॉडी असेंबली, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर फाइन, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर, रॉक ब्रेकर, बॉक्स टाइप हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर आदि।"

4. प्रयोग: छेनी के साथ रॉक ब्रेकर आमतौर पर खदान और विध्वंस बाजारों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग ट्रेचिंग, तोड़ने के उद्देश्य से किया जाता है डामर, कंक्रीट, कठोर चट्टानों और विशाल पत्थर। एक छेनी (जिसे उपकरण के रूप में भी जाना जाता है) एक हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के शरीर से जुड़ा होता है, और यह छेनी है जो प्रभाव पर टूटने के लिए सतह के संपर्क में आती है। रॉक ब्रेकर के अलावा छेनी को भी अलग से बेचा जाता है। आमतौर पर, एक छेनी उपयोग के कुछ घंटों के बाद घिस जाती है और इसे दूसरे छेनी के साथ बदल दिया जाता है। उपयोग के प्रकार और प्रभाव बल के प्रकार के आधार पर छेनी की नोक अलग-अलग आकार की हो सकती है जैसे कुंद, पञ्चर, मोड़ल आदि

5. टैरिफ वर्गीकरण: पीयूसी आमतौर पर टैरिफ हेडिंग 84314930 के तहत आयात किया जाता है और 84314990 विवरण के साथ, "पृथ्वी, खनिज या अयस्कों के लिए अन्य उत्खनन, समतलीकरण, टैम्पिंग या उत्खनन मशीनरी का"। संबंधित पीयूसी को अन्य शीर्षकों के तहत भी आयात किया जा सकता है। इसलिए, ऊपर वर्णित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं, और किसी भी तरह से जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

6. जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और एंटी-डंपिंग एप्लिकेशन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं और विषय देशों से उत्पादित और निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यो और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता उपयोग कर सकते हैं और दोनों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित माल चीन पीआर और दक्षिण कोरिया से आयात किए जा रहे विषय वस्तुओं के लिए समान वस्तु है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु को एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अन्तर्गत 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

8. आवेदन चीन पीआर और कोरिया आरपी (इसके बाद 'विषय देशों' के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के कथित डंपिंग के संबंध में दायर किया गया है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

9. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 जांच की अवधि के रूप में है। इसके अलावा, क्षति की जांच अवधि 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019- 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल 2020- 31 मार्च, 2021 और पीओआई (1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022) के रूप में प्रस्तावित की गई है।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन डोजको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जो भारत में विषय वस्तुओं का निर्माता है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि ऐसे अन्य उद्योग हैं जो विषय वस्तुओं के असंबद्ध भागों का आयात करते हैं और उन्हें भारत में आगे इकट्ठा करते हैं। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि भारत में विषय वस्तुओं का कोई अन्य निर्माता नहीं है।

11. आवेदक ने पीओआई के दौरान पीयूसी का आयात नहीं किया है। तथापि, आवेदक ने भारत में रॉक ब्रेकर भागों के आयात की कुल मात्रा की तुलना में पीओआई में रॉक ब्रेकर भागों के आयात की बहुत ही नगण्य मात्रा की है।

12. यह नोट किया गया है कि आवेदक के व्यापार की प्रकृति एक विनिर्माता की है और वह व्यापारी में नहीं बदली है और इसलिए, आवेदक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है और एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) में यथानिर्धारित स्थिति के लिए मापदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार**13. सामान्य मूल्य****I. चीन पीआर**

i. आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य एंटी-डॉपिंग नियम, 1995 के अनुलग्नक-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। रॉक ब्रेकर के लिए सामान्य मूल्य के साथ-साथ छेनी के लिए सामान्य मूल्य की गणना घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर की गई है, जो बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत समायोजित है।

II. कोरिया आरपी

ii. कोरिया आरपी से सामान्य मूल्य के निर्माण के संबंध में, आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि कोरिया आरपी में विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संबंध में डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए, रॉक ब्रेकर के लिए सामान्य मूल्य और छेनी के लिए सामान्य मूल्य की गणना घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर की गई है, जो बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत समायोजित है।

14. निर्यात कीमत

i. सम्बद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य की गणना शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए उचित समायोजन (माल ढुलाई, बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क, अंतर्देशीय माल ढुलाई और कमीशन) के साथ आयात डेटा के आधार पर की गई है।

15. पाटन मार्जिन

i. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना पूर्व-कारखाने के स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि डॉपिंग मार्जिन डी-मिनिमिस स्तर से ऊपर है और विषय देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विषय देशों से विचाराधीन उत्पाद को विषय देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

16. आवेदक ने डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। विषय देशों से विषय आयात की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों शर्तों में बढ़ी है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में कमी आई है। डंप किए गए आयातों के कारण मूल्य दमन और अवसाद घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और रिटर्न की उचित दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोक रहा है। विषय आयात का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके कारण नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई में बहुत महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू उद्योग के इन्वेंट्री स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

18. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अन्तर्गत यथावर्णित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv14-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के ज़रिए उसकी सरकार भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातक और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर दें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित पद्धति और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी वर्तमान जांच से संगत अनुरोध इस जांच परिणाम अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की धिकारिक वेबसाइट अर्थात् <https://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय-सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv14-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

29. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

30. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

31. इच्छुक पक्ष आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

33. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर लोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें।

ढ. असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

Case No. AD-(OI)-08/2022

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “alloy steel chisel/tool and hydraulic rock breaker in fully assembled condition” originating in or exported from China PR and Korea RP.

F.No. 6/8/2022-DGTR—An application has been filed by DOZCO (India) Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the ‘applicant’), before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the ‘Act’) as amended in 1995 and thereafter, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘AD Rules’), for the initiation of an anti-dumping investigation and the imposition of appropriate anti-dumping duty on imports of **“alloy steel chisel/ tool and hydraulic rock breaker in fully assembled condition”** (hereinafter referred to as the ‘subject goods’) originating in or exported from China PR and Korea RP.

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports, originating in or exported from China PR and Korea RP and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from China PR and Korea RP.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration for the present investigation is **“alloy steel chisel/ tool and hydraulic rock breaker in fully assembled condition”** (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”). In common usage, the product under consideration is known as hydraulic breaker, hydraulic rock breaker, chisel/tool. The PUC is usually imported under the following description but not limited to the following:

“Alloy Steel Chisel: imported as Rock Chisel Teeth, Tooth Rock Chisel, Breaker Tool, Hydraulic Hammer (Tools), Hydraulic Rock Breaker Wedge Point for Working Tool, Chisel Blunt, Blunt, Chisel etc.

Hydraulic Rock Breaker: Hydraulic Rock Breaker (with and without Chisel), Rock Breaker with & without Bulk, Hydraulic Rock breaker Assembly Kit, Rock breaker spare body assembly, Hydraulic Rock Breaker Fine, Hydraulic Rock Breaker, Rock Breaker, Box Type Hydraulic Rock Breaker etc.”

4. **Uses:** Rock Breakers with chisel are commonly used for quarry and demolition purposes. It is used for the purpose of trenching, breaking asphalt, concrete, hard rocks and huge stones. A chisel (also known as tool) is attached

to the body of a hydraulic rock breaker, and it is the chisel which comes in contact with the surface to be broken on impact. Chisels are also sold separately apart from a rock breaker. Usually, a chisel gets worn out after certain hours of usage and is replaced with another chisel. Depending upon the type of usage and the kind of impact force required, the tip of the chisel may be of different shapes such as blunt, wedge, moil etc.

5. **Tariff classification:** The PUC are usually imported under tariff heading 84314930 and 84314990 with the description, “Of other excavating, levelling, tamping or excavating machinery for earth, mineral or ores”. The concerned PUC can be imported under other headings as well. Therefore, the customs classification mentioned above are only indicative, and in no way binding on the scope of the investigation.

6. The parties to the investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of non-confidential version of the anti-dumping application.

B. LIKE ARTICLE

7. The applicant has claimed that there are no known differences in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject countries. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable. The goods produced by the applicant is a like article to the subject goods that are being imported from China PR and South Korea. For the purposes of the present investigation, the goods being produced by the domestic industry are being treated as ‘like article’ to the subject goods imported from China PR and Korea RP.

C. SUBJECT COUNTRIES

8. The application has been filed in respect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

9. The period of investigation for the present investigation is 1st April 2021 - 31st March 2022. Further, the injury investigation period has been proposed as 1st April, 2018- 31st March, 2019, 1st April, 2019- 31st March, 2020, 1st April 2020- 31st March 2021 and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. The application has been filed by DOZCO (India) Pvt. Ltd. who is a manufacturer of the subject goods in India. The applicant has submitted that there are other industries which import unassembled parts of the subject goods and further assemble them in India. The applicant has submitted that there are no other manufacturer of the subject goods in India.

11. The applicant has not imported the PUC during the POI. However, the applicant has made very insignificant volumes of imports of rock breaker parts in the POI in comparison to the total volume of imports of rock breaker parts in India.

12. The nature and business of the applicant remains to be of a manufacturer and therefore, in terms of Rule 5(3) and Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, 1995, the applicant is a domestic industry and satisfies the requirements of standing.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

13. Normal value

I. China PR

- i. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with para 7 of the Annexure-I to the Anti-dumping Rules, 1995. The normal value for rock breaker as well as the normal value for chisel has been computed

based on the cost of production of the domestic industry, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, and a reasonable profit margin.

II. Korea RP

- i. With respect to construction of normal value from Korea RP, the applicant has submitted that the data with respect to the cost of production of the subject goods in Korea RP is not available in the public domain. Therefore, the normal value for rock breaker and the normal value for chisel has been computed based on the cost of production of the domestic industry, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, and a reasonable profit margin.

14. Export Price

- i. The export price for the subject goods has been computed based on the import data with due adjustments for freight, insurance, port expenses, bank charges, inland freight, and commission to arrive at the net export price.

15. Dumping Margin

- i. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

16. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in both absolute as well as in relative terms. The capacity utilisation of the domestic industry has declined. The price suppression and depression caused by the dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve reasonable rate of returns. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT, and ROCE have registered a very significant decline. There has also been a significant increase in the inventory levels of the domestic industry.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

17. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

18. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv14-dgtr@gov.in . It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

20. The known producers/exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are

being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

21. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv14-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

25. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

26. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

27. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

28. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

29. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

30. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

32. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority